

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह**

आर.सी.एस.ए-300058 / 15
संस्थित दिनांक-02.01.2014
फाई. क.234503005702014

श्रीमती पुरन्तीबाई उम्र-50 वर्ष जौजे करणसिंह जाति गोंड
साकिन भीकेवाड़ा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट

.....वादिनी

- / / विरुद्ध / / -

1. चैनलाल उम्र-35 वर्ष, पिता टीकाराम जाति धोबी
साकिन भीकेवाड़ा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट।
2. करणसिंह पिता झाड़ूसिंह उम्र-55 वर्ष जाति गोंड
साकिन भीकेवाड़ा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय परसवाड़ा तहसील परसवाड़ा
जिला बालाघाट।
4. राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा जिला बालाघाट
5. श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाटप्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -
(आज दिनांक-30.10.2017 को घोषित)

1. वादिनी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
2. वादिनी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रति.क.2 वादी का पति है। विवादित भूमि ख.नं. 345/4 रकबा 1.60 ए. मौजा भीकेवाड़ा, प.ह.नं-8 रा.नि.मं. परसवाड़ा तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित है। विवादित भूमि घास मद की शासकीय भूमि थी, जो कि वादिनी के पति करणसिंह के नाम पर दर्ज ख. नं-256/2 रकबा 6.35 ए. भूमि स्वामी हक की भूमि के किनारे एवं नाला के बीच में स्थित है, जो जलोढ़ भूमि है, जिस पर वादिनी का 30 वर्षों से शांतिपूर्वक कब्जा है एवं वादिनी कृषि करती है। प्रति. क-1 द्वारा प्रति.क-2 के विरुद्ध विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्ति के लिए वर्ष 2010 में तहसीलदार परसवाड़ा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया था कि प्रति.क-2 ने ख.नं-345/4 रकबा 1.60 एकड़ भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है, जो प्रति.क-1 के हक मालिकी की भूमि है। प्रति.क-1 को उक्त भूमि पर प्रति.क-2 से कब्जा दिलाया जावे, जिसके तारतम्य में तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज कर राजस्व प्रकरण क-5अ-70/2009-10 में सुनवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा से स्थल निरीक्षण एवं सीमांकन रिपोर्ट बुलवाई गई थी, जिसमें राजस्व निरीक्षक

परसवाड़ा द्वारा मौके पर ख.नं-345/4 रकबा 1.60 एकड़ में से 0.95 एकड़ भूमि पर वादिनी का अवैध कब्जा पाया था। वादिनी का उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार परसवाड़ा के यहां प्रकरण चल रहा है कि जानकारी होने पर उसने तहसीलदार परसवाड़ा के यहां आपत्ति प्रस्तुत की थी, उसका विवादित भूमि पर 30 वर्ष से लगातार शांतिपूर्वक कृषि कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि का कब्जा प्रति.क-1 को न दिया जावे। इसके बावजूद भी तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा वादिनी की आपत्ति को निरस्त कर दी थी एवं दिनांक-16.03.2011 को विवादित भूमि के संबंध में प्रति.क-1 के पक्ष में आदेश पारित कर दिया था, जिसके विरुद्ध वादिनी द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जिसका अपील प्र.क-24अ-70/वर्ष 2010-11 है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए विधि-विरुद्ध रूप से वादिनी के विरुद्ध आदेश पारित कर वादिनी की अपील को खारिज कर दिया था, जिसकी अपील अतिरिक्त कमीशनर जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में की गई थी, जिसका अपील प्र.क-281/अ-70/2011-12 है। दिनांक-03.08.2013 को विधि-विरुद्ध आदेश पारित कर वादिनी की अपील को खारिज कर दिया था।

3. वादिनी ने उसके वादपत्र में यह भी बताया है कि विवादित भूमि के संबंध में वादिनी को प्रकरण के चलते यह जानकारी हुई थी कि प्रति.क-1 ने राजस्व कर्मचारियों से मेलजोल कर विवादित भूमि के कब्जे में नहीं होने के बावजूद तथा पट्टा प्राप्त करने की विधिक पात्रता ना रखते हुए भी संशोधन क-18 दिनांक-12.12.1989 को पट्टा प्राप्त करने का संशोधन अवैध रूप से तहसीलदार परसवाड़ा से करवा लिया था, जो अवैध होने से वादिनी पर बंधनकारक नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा 0.95 डि. भूमि का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं सीमांकन रिपोर्ट बुलवाई गई थी। उक्त भूमि पर वादिनी का अवैध कब्जा बताया गया था, वह गलत था। सीमांकन के समय वादिनी को मौके पर नहीं बुलाया गया था, वादिनी का संपूर्ण विवादित भूमि पर कब्जा प्रति.क-1 की जानकारी में चला आ रहा था। प्रति.क-1 ने जानबूझकर वास्तविक स्थिति को छुपाते हुए वादिनी को पक्षकार न बनाते हुए संपूर्ण भूमि का कब्जा वादिनी के पति करणसिंह से मांगा था, जबकि वास्तविक रूप से संपूर्ण विवादित भूमि पर वादिनी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रति.क-1 द्वारा राजस्व निरीक्षक से मेलजोल कर मात्र 0.95 डिसमिल भूमि में वादिनी का कब्जा बताया गया है, जिसके आधार पर राजस्व न्यायालय में प्रकरण उभयपक्ष के मध्य लड़ा गया था, किन्तु वादिनी का कब्जा संपूर्ण भूमि पर था। यदि प्रति.क-1 द्वारा ख.नं-345/4 रकबा 1.60 एकड़ का अवैध रूप से पट्टा प्राप्त कर लिया हो तो विवादित भूमि पर प्रति.क-1 की

जानकारी में वादिनी का निरंतर 30 वर्ष से कब्जा चले आने से विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादिनी विवादित भूमि की एकमात्र स्वामी हो चुकी है। विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादिनी का हक परिपक्व हो जाने से वादिनी को एकमात्र स्वामी घोषित किया जाना तथा संशोधन क्रमांक-18 दिनांक-12.12.1989 रा.प्र.क-5अ-70/2009-10 में तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.03.2011 तथा राजस्व अपील प्र.क-24अ-70/2010-11 में अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2011 तथा द्वितीय अपील राजस्व अपील प्र.क-281अ-70/2011-12 में अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक-03.08.2013 वादिनी पर बंधनकारक नहीं है। वादिनी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रति.क. 1 ने वादिनी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी का वादपत्र अस्वीकार कर उसके विशेष कथन में बताया है कि विवादित भूमि पर प्रति.क.1 का कई वर्षों से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वह उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का उदर-पोषण करता है। प्रति.क-1 की उक्त भूमि को हड़पने के लिए वादिनी द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था। उक्त भूमि का तहसीलदार परसवाड़ा के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा एवं हल्का पटवारी द्वारा विधिवत् सीमांकन किया था। सीमांकन के दौरान प्रति.क-1 की उक्त भूमि में से रकबा 0.95 डिसमिल भूमि पर वादिनी का कब्जा पाया गया था। उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में भी प्रति.क-1 का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादिनी द्वारा तहसीलदार परसवाड़ा के रा.प्र.क.-5अ/70 वर्ष 2009-10 में पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में राजस्व अपील क्रमांक-24अ/70 वर्ष 2010-11 प्रस्तुत की थी, जिसमें पारित आदेश के विरुद्ध पुनः वादिनी द्वारा कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर में द्वितीय राजस्व अपील क्र. 281अ/70 वर्ष 2011-12 प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील में भी वादिनी को सफलता नहीं मिलने के कारण वादिनी द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से प्रति.क-1 के कब्जे व मालिकी की वादग्रस्त भूमि को हड़पने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रति.क.01 ने वादिनी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रति.क-3 एवं 4 ने वादिनी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी का वादपत्र अस्वीकार कर उनके विशेष कथन में बताया है कि प्रति.क-1 द्वारा प्रति.क-2 करणसिंह के हक मालिकी एवं स्वामित्व की भूमि ख.नं-345/4 रकबा 1.60 ए. मौजा भीकेवाड़ा, प.ह.नं-4 में स्थित भूमि पर कब्जा दिलाए जाने बाबद्

तहसीलदार परसवाड़ा को आवेदनपत्र मय राजस्व अभिलेख के साथ पेश किया था, जिसका रा.प्र.क-5अ-70 वर्ष 2009-10 पंजीयन कर सुनवाई में लिया गया तथा प्रति.क.2 को सूचनापत्र जारी कर जवाब लेकर राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा से स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त था, जो प्रकरण में संलग्न कर उभयपक्षों के द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् तहसीलदार परसवाड़ा के अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादित भूमि पूर्व में शासकीय घास मद की भूमि थी जो कि निरंतर कब्जा व कृषि में चले आने के कारण वर्ष 1989-90 में प्रति.क-1 को पट्टे पर दिया गया था, तब से उक्त भूमि प्रति.क-1 के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। प्रति.क-2 द्वारा प्रति.क-1 की भूमि पर जबरन कब्जा कर उसमें गेहूँ, लखोड़ी की फसल बोई गई थी, जबकि कृषि वर्ष में धान की फसल प्रति.क-1 के द्वारा बोई जाकर कृषि की गई थी तथा विगत 10 वर्ष पूर्व से चैनलाल का कब्जा चला आ रहा है।

6. प्रकरण में प्रति.क.-5 दिनांक-17.01.14 को एवं प्रति.क-2 दिनांक-29.01.14 एकपक्षीय हो गए हैं। इस कारण प्रति.क.-5 एवं 2 की ओर से वादिनी के वादपत्र का जवाब नहीं दिया गया है।

7. प्रकरण में तत्कालीन पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी ने वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त भूमि मौजा भीकेवाड़ा, प.ह. नं-8, रा.नि.मं. परसवाड़ा स्थित ख. नं-345/4 रकबा 1.60 एकड़ विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादिनी का हक परिपक्व हो गया है ?	“प्रमाणित नहीं”
2	क्या राजस्व प्रकरण क्रमांक 5अ-70/2009-10, दिनांक-12.12.1989 में तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पारित आदेश एवं राजस्व अपील क्र-24अ-70/10-11 पारित आदेश दिनांक-16.03.2011 वादिनी पर बंधनकारी नहीं है ?	“प्रमाणित नहीं”
3	क्या वादग्रस्त ख.नं-345/4, रकबा 1.60 एकड़ भूमि मौजा भीकेवाड़ा प.ह.नं 8, रा. नि.मं. परसवाड़ा पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है ?	“प्रमाणित नहीं”
4	सहायता एवं व्यय ?	वादिनी का वादपत्र निर्णय की कंडिका-14 के अनुसार निरस्त किया गया है।

5	क्या प्रतिवादी द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर-354/4 रकबा 1.60 हेक्टेअर का विधि विरुद्ध रूप से पट्टा प्राप्त किया गया है और इस आधार पर संशोधन क्रमांक-8 दिनांक-12.12.1989 अवैधानिक होने से वादी पर बंधनकारी नहीं है ?	“प्रमाणित नहीं”
---	--	-----------------

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

वादप्रश्न क्रमांक-01,02 एवं 05 का निराकरण:-

8. वादप्रश्न क्र-1,2,5 एक दूसरे से संबंधित है। साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण उक्त वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. वादिनी पुरन्तीबाई वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र की साक्ष्य में बताया है कि उसके हक मालिकी कब्जे की भूमि ख.न. 345/4 रकबा 1.60 ए. भूमि मौजा भीकेवाड़ा प.ह.नं.-8 रा.नि.मं. एवं तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि पर उसका शांतिपूर्वक लगातार 35 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी कोदो, कुटकी, आई. आर-36, लुचई धान की फसल की कृषि की गई थी। वादग्रस्त भूमि पर प्रति. क्र-1 चैनलाल का कभी कोई कृषि एवं कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि पर पहले वादिनी के ससुर झाड़ूसिंह द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। वादग्रस्त भूमि उसके पति करनसिंह के स्वामित्व की भूमि 6.35 ए. भूमि से लगी हुई है। वादग्रस्त भूमि घास मद की शासकीय भूमि थी जो उसके पति के भूमि स्वामी हक की भूमि रकबा 6.35 ए. भूमि के बीच में स्थित है जो एक जलोढ़ भूमि थी। जिसे उक्त साक्षी द्वारा नागर ट्रेक्टर चलवाकर भूमि को बराबर कर कृषि योग्य एवं बंधिया बनाई गई थी। वादग्रस्त भूमि रकबा 1.60 ए. भूमि पर दिनांक 20.06.1980 को जब उक्त साक्षी नागर(हल) चलवाकर कृषि कार्य कर रही थी, तब प्रति.क्र-1 मौके पर आया था एवं उक्त साक्षी को कृषि करने से रोकने का प्रयास किया था। तब उक्त साक्षी ने प्रति.क्र-1 से कहा था कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कोई हक नहीं है। वादग्रस्त भूमि की वह स्वामी है। तब प्रति.क्र-1 मौके से चला गया था एवं प्रति.क्र-1 ने कहा था कि वादग्रस्त भूमि उसे पट्टे में मिल चुकी है, वह जमीन का मालिक है, तब से साक्षी का प्रति.क्र-1 की जानकारी में कृषि कब्जा शांतिपूर्वक वर्ष 2009 तक लगातार चला आ रहा था। इस समय तक प्रति.क्र-1 वादग्रस्त भूमि पर कोई कृषि नहीं करता था ना ही वादग्रस्त भूमि का उक्त साक्षी से कभी कब्जा मांगा था। उक्त साक्षी के कब्जे पर कभी प्रति.क्र-1 ने हस्तक्षेप नहीं किया है। प्रति.क्र-1 द्वारा तहसील परसवाड़ा के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि

का कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा-250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता का आवेदन पत्र इस साक्षी के पति करणसिंह प्रति.क्र-2 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, साक्षी को पक्षकार नहीं बनाया था। तहसीलदार परसवाड़ा के द्वारा प्रकरण दर्ज कर राजस्व प्रकरण क्रमांक 5अ-70 वर्ष 2009-10 में सुनवाई कर वादग्रस्त भूमि की राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा से जांच रिपोर्ट बुलाई गई थी जिसमें इस साक्षी को मौके पर नहीं बुलाया गया था। कुल रकबा 1.60 एकड़ के स्थान पर 0.90 डिसमिल भूमि पर इस साक्षी का कब्जा जांच रिपोर्ट में बताया गया था। जबकि इस साक्षी का 1.60 एकड़ भूमि पर कब्जा था।

10. पुरन्तीबाई वा.सा.1 का कहना है कि उसे पता चला था कि प्रति.क्र.1 द्वारा उसके पति के खिलाफ प्रकरण पेश कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने का प्रकरण पेश किया गया है तब साक्षी ने तहसीलदार परसवाड़ा के पास आपत्ति प्रस्तुत की थी। तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा आपत्ति को नहीं मानते हुए दिनांक 16.03.2011 को साक्षी के विरुद्ध गलत आदेश पारित कर दिया था। साक्षी ने उक्त आदेश की अपील प्रति.क्र-1 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में की थी जिसका राजस्व अपील प्र.क्र-24अ-70/वर्ष 2010-11 है। उक्त प्रकरण में दिनांक-17.10.2011 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर द्वारा अवैधानिक रूप से गलत आदेश पारित किया था। जिसकी द्वितीय अपील अतिरिक्त कमिशनर जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 281/अ-70 वर्ष 2010-11 है। अतिरिक्त कमिशनर जबलपुर संभाग द्वारा दिनांक 03.08.2013 को अवैधानिक रूप से आदेश पारित कर दिया था। इस प्रकार तहसीलदार परसवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी बैहर, अतिरिक्त कमिशनर जबलपुर संभाग द्वारा वादिनी के स्वामित्व की भूमि के संबंध में आदेश पारित किये थे। साक्षी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 345/4 रकबा 1.60 एकड़ भूमि पर उक्त आदेश बंधनकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर साक्षी को एक मात्र स्वामी घोषित किया जावे। ख. न-230 में से रकबा 0.02 डिसमिल भूमि जो कि मौजा भीकेवाड़ा प.ह.नं.-4/8, रा.नि.मं. परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित है को प्रति.क्र-1 द्वारा चैतराम, सेवकराम, हरिराम, श्रीराम को बिना पैसा लिये विक्रय कर दी है। प्रति.क्र-1 ने वादग्रस्त शासकीय भूमि 345/4 रकबा 1.60 ए. भूमि का पट्टा बिना हक अधिकार के अवैधानिक रूप से चैतराम आदि के सहयोग से तहसीलदार परसवाड़ा से मिलकर प्राप्त कर लिया है, जिसका संशोधन क्र-8 दिनांक-12.12.1989 एवं प्रमाणीकरण दिनांक-02.02.1990 अवैधानिक होने से वादिनी पर बंधनकारक नहीं है। धनीराम वा.सा.2 ने वादिनी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि

वादिनी वर्ष 1980 से 2009 तक विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण रूप से कब्जे में होकर कृषि करती रही है। प्रति.क्र-1 ने वादिनी से विवादग्रस्त भूमि के कब्जे की कभी मांग नहीं की थी। वादिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 एवं 3 के नक्शे, वर्ष 2014-15 के खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-2 एवं 4, विवादित भूमि की संशोधन पंजी प्रदर्श पी-5 एवं न्यायालय एडिशनल कमिश्नर जबलपुर के आदेश दिनांक-03.08.13 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है।

11. प्रतिवादी चैनलाल प्र.सा.1 ने वादिनी की साक्ष्य का खण्डन करते हुए स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि विवादित भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, जिस पर कब्जा होने एवं कृषि कार्य करने के कारण वर्ष 1989-90 में संशोधन क्र-18 दिनांक-12.12.89 आदेश दिनांक-02.02.1990 के अनुसार उसका विवादित भूमि पर नाम दर्ज चला आ रहा है, तब से उक्त साक्षी उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते हुए चला आ रहा है। उक्त साक्षी से पूर्व उसका पिता टीकाराम उक्त भूमि पर कास्त करता था, जिस पर बिना किसी अधिकार के वादिनी के पति प्रति.क्र-2 के द्वारा भूमि पर अनाधिकृत रूप से जबरन कब्जा कर लेने के कारण वर्ष 2009-10 में भूमि का कब्जा वापस किये जाने के लिए न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा-250 का आवेदन पेश कर कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की गई थी, जिसमें करणसिंह को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था, तब करणसिंह ने न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया था। वादिनी ने उक्त प्रकरण में पक्षकार बनकर आपत्ति आवेदन पेश किया था, जो निरस्त हो गया है। न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पंजीकृत प्रकरण में राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी से स्थल जांच का प्रतिवेदन बुलाया गया था। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिये गए प्रतिवेदन व मौके की स्थिति के अनुसार करणसिंह के द्वारा प्रति.क्र-1 चैनलाल की स्वामित्व की भूमि पर जबरन कब्जा कर फसल बोई गई होना पाया गया था। उसी कृषि वर्ष में धान की फसल प्रति.क्र-1 द्वारा लगाई गई थी, तब से प्रति.क्र-1 उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा था। न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा प्रतिवेदन व साक्ष्य के आधार पर कब्जा वापसी किये जाने का आदेश कर भूमि का कब्जा भूमि स्वामी को वापस दिलाए जाने का पालन-प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधित हल्का पटवारी को आदेशित किया गया था एवं वादिनी के द्वारा तहसीलदार परसवाड़ा के रा.प्र. क्र-5अ-70 वर्ष 2009-10 में दिनांक-16.03.2011 के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में चुनौती देकर अपील प्रस्तुत की थी, जिसका रा. अपील प्र.क्र-24अ-70 वर्ष 2010-11 में सुनवाई कर दिनांक-17.10.2011 को

अपील निरस्त कर दी गई थी, जिसकी अपील कमिशनर जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसका अपील प्र.क्र-281अ-70 वर्ष 2011-12 में दिनांक-03.08.2013 को आदेश पारित कर प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई थी। उक्त आदेश वादिनी पर बंधनकारक है। उक्त साक्षी विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादिनी उसके पति के स्वामित्व की भूमि ख.नं-356/2 रकबा 6.35 ए. की आड़ में विवादित भूमि को हड़पना चाहती है। प्रतिवादी साक्षी चैनलाल प्र.सा.1 की साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी भागचंद बघेल प्र.सा.2 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

12. प्रकरण में वादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श पी-2 के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे क्र-356/2 रकबा 2.570 ए. भूमि पर वादिनी के पति प्रतिक-2 करणसिंह का नाम एवं प्रदर्श पी-4 के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे क्र-345/4 रकबा 0.648 भूमि पर प्रतिक-1 का नाम भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। प्रदर्श पी-5 की संशोधन पंजी क्र-18 दिनांकित-12.12.89 आदेश दिनांक-02.02.1990 के अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्ती के समय नायब तहसीलदार परसवाड़ा के प्र.क्र-1अ/19/89/90 दिनांक-30.11.89 के द्वारा भूमि के व्यवस्थापन में प्रतिक-1 को भूमि स्वामी अधिकारों की मंजूरी के लिए पट्टा दिये जाने के कारण आवंटित की गई थी, कब्जे के अनुसार प्रतिक-1 को चैतलाल, सेवकराम, हरिराम, श्रीराम की साक्ष्य के आधार पर उक्त भूमि आवंटित कर रिकॉर्ड दुरुस्त हुआ था। वादिनी ने न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा के रा.प्र. क्र-5अ-70 वर्ष 2009-10 की अपील अनुविभागीय अधिकारी बैहर जिला बालाघाट के न्यायालय में की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील निरस्त कर दी थी। अनुविभागीय अधिकारी के रा.अपील प्र. क्र-24अ-70 वर्ष 2010-11 आदेश दिनांक-17.10.11 के विरुद्ध वादिनी ने न्यायालय एडिशन कमिशनर जबलपुर संभाग के समक्ष द्वितीय अपील विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत की थी। उक्त अपील को न्यायालय एडिशनल कमिशनर जबलपुर संभाग द्वारा दिनांक-03.08.13 को निरस्त कर दी थी। वादिनी ने दिनांक-23.12.10 के स्थल निरीक्षण की असल प्रति प्रस्तुत कर प्रदर्श नहीं कराई है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गए किसी दस्तावेज में विवादित भूमि पर वादिनी का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज नहीं है। न्यायदृष्टांत पार्वती बाई विरुद्ध सोनाबाई, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 381 में यह प्रतिपादित किया है कि वह व्यक्ति जो विरोधी आधिपत्य के आधार पर दावा करता है उसे यह निश्चित तारीख स्थापित करना चाहिए जहां से उसका विरोधी आधिपत्य प्रारंभ हुआ हो। वादिनी ने उसकी साक्ष्य

से यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित भूमि पर वादिनी का विरोधी आधिपत्य किस दिनांक से था। विरोधी आधिपत्य के लिए निश्चित दिनांक का होना आवश्यक है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि वादिनी का विवादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य परिपक्व हो गया हो। वादिनी प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि प्रति.क-1 ने विवादित भूमि का पट्टा किस आधार पर प्राप्त किया था। पट्टा प्राप्त होने से कोई व्यक्ति भूमि का स्वामी नहीं बन जाता है। वादिनी उसकी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं कर पाई हैं कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 5अ-70/2009-10, दिनांक-12.12.1989 में तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पारित आदेश एवं राजस्व अपील क्र-24अ-70/10-11 में पारित आदेश दिनांक-16.03.2011 वादिनी पर अबंधनीय है। वादिनी वादप्रश्न क्र-1, 2 एवं 5 को उसके पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रही है।

वादप्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण

13. पुरन्तीबाई वा.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि विवादित भूमि ख. नं-345/4 रकबा 1.60 ए. भूमि का उसे स्वामी घोषित किया जावे। वादिनी ने किसी दस्तावेज से विवादित भूमि पर उसका स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं किया है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता कि वादिनी विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

वादप्रश्न क्रमांक-4 सहायता एवं व्यय

14. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादिनी भूमि ख.नं-345/4, रकबा 1.60 एकड़ भूमि मौजा भीकेवाड़ा प.ह.नं 8, रा.नि.मं. एवं तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट की भूमि के संबंध में अपना वादपत्र प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः वादिनी का वादपत्र निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

1- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

2- अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/-

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित।

सही/-

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट